राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांकः एफ.17(8)24 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / प्राधि. बैठक / 2020 / दिनांकः 24.05.2021

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की द्वितीय बैठक
दिनांक 16.04.2021 का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2021 को वी.सी. के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण ने बैठक के एजेण्डा एवं प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर समीक्षा की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गये :–

क्र. सं.	बैठक में किये गये निर्णय	संबंधित अधिकारी
1.	ई–मित्र सेवाओं की दरों का हिन्दी अथवा आमजन की सरल भाषा में प्रचार–प्रसार किया जाना, जिसमें शिकायत निवारण (Grievance redressal) की सुविधा एवं संपर्क सूत्र का उल्लेख हो।	निदेशक, जन आधार एवं अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
2.	अवितरित मुद्रित जन आधार कार्डों का प्रशासन गाँवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविरों में वितरण ई–मित्र के माध्यम से कराया जाना।	निदेशक, जन आधार एवं अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
3.	जन आधार कार्ड का उपयोग राशन कार्ड के रूप में करने हेतु एनएफएसए राशन कार्डधारी सदस्यों में से अनमैप्ड सदस्यों की मैपिंग हेतु सिस्टम की सहायता से In-Organic Seeding कार्य शीघ्र पूरा किया जाना।	निदेशक, जन आधार एवं अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
4.	ई–मित्र परियोजना को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की **धारा 14(3)** (ई–मित्र नेटर्वक का प्रशासन, प्रबंध एवं नियंत्रण प्राधिकरण में निहित) एवं **धारा 20(यख) से 20(यझ)** (प्राधिकरण की ई–मित्र से संबंधित शक्तियां एवं कर्त्तव्य) के प्रावधानों के तहत अधीन लाये जाने की प्रक्रिया के संबंध में विचार–विमर्श किया गया।	–
5.	व्यक्तिगत जन आधार ई–कार्ड का प्रारूप अनुमोदित करवाकर जारी किया जाना, जिससे आमजन पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड कर प्राप्त कर सके।	निदेशक, जन आधार
6.	जन आधार कार्ड / नामांकन में आवेदक के स्वयं द्वारा भी ऑनलाईन माध्यम से संशोधन / अद्यतन करने हेतु जन आधार पोर्टल पर निःशुल्क आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जानी है।	निदेशक, जन आधार एवं अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
7.	ई–मित्र पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित की गयी शुल्क राशि 20 रूपये पर कार्य स्वीकृति प्रदान की गयी, जो कि संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा एवं आमजन हेतु निःशुल्क रहेगा।	अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।

8.	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के पी.डी. खाते के संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी पदाभिहित करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। आगामी कार्यवाही हेतु उक्त प्रस्ताव को वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे।	निदेशक, जन आधार
9.	ऑनलाईन RTI के आवेदन किये जाने पर ऑनलाईन यूजर्स के लिए वर्तमान ई–मित्र चार्जेज (6 रूपये) को हटाकर निःशुल्क करते हुए, केवल 10 रूपये RTI आवेदन शुल्क रखने का निर्णय लिया गया।	अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
10.	ई–मित्र के साथ थर्ड पार्टी पोर्टल इंटीग्रेशन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदक द्वारा ऑनलाईन राशि जमा कराने पर शुल्क, जो पहले 2000 रूपये तक 10 रूपये, तत्पश्चात प्रत्येक 1000 रूपये के लिए 2 रूपये प्रति हजार वृद्धिमान शुल्क था, उसे समरूप (Flat) 10 रूपये किये जाने का निर्णय किया गया।	अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्न : परिशिष्ट – 1

(नवीन जैन)
सदस्य सचिव,
शासन सचिव, आयोजना एवं
पदेन महानिदेशक

क्रमांकः एफ.17(8)24 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / प्राधि. बैठक / 2020 /   दिनांकः 24.05.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक राजस्थान जन आधार प्राधिकरण शासन सचिवालय, जयपुर।
6. उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)।
7. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
8. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
10. निदेशक, जन आधार योजना, जयपुर।
11. अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक (जन्म–मृत्यु, विवाह), मुख्यालय, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक (यूआईडी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
15. एस.ए. / प्रोग्रामर, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
एवं पदेन अति. महानिदेशक

परिशिष्ट–1

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की दिनांक 16–04–2021 को आयोजित द्वितीय बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

1.	श्री अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
2.	श्री नवीन जैन, शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
3.	श्री विरेन्द्र सिंह, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर
4.	श्री सुरेश चन्द गुप्ता, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग
5.	डॉ. ओमप्रकाश बैरवा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर
6.	श्री तरूण तोषनीवाल, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)
7.	श्री आर.के.पाण्डे, निदेशक (जन–आधार) आयोजना विभाग
8.	श्री आर. एल. सोलंकी, अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
9.	श्री आर.के. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
10.	श्री महेश कुमार कुमावत, संयुक्त निदेशक (जन आधार), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
11.	श्री आकाश पाठक, संयुक्त निदेशक (एन.एस.एस), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
12.	श्री सुदेश कुमार, संयुक्त निदेशक (जन्म–मृत्यु एवं विवाह), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
13.	श्री रणवीर सिंह, संयुक्त निदेशक (समन्वय), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
14.	श्रीमती राजश्री सांखला, एस.ए, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
15.	श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक (यूआईडी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
16.	श्री मुकेश शर्मा, एसीपी (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
17.	श्री रवि प्रकाश शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी (जन–आधार), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
18.	श्री सुधेन्द्र पाल सिंह, प्रोग्रामर, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
19.	श्री रमेश चन्द कारीगर, सांख्यिकी अधिकारी (जन–आधार), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय